

राजस्थान-सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक/नर्सिंग (F)/से0नि0/सी-49/आक्षेप/2019/

दिनांक:-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

जयपुर-प्रथम, डूंगरपुर, प्रतापगढ़,

उदयपुर, जालौर।

विषय:- सेवानिवृत्ति आदेश जारी करने बाबत

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा निम्नांकित नर्स-2/महिला स्वास्थ्य दर्शिका के सेवानिवृत्ति आदेश जारी करने के प्रस्ताव भिजवाये हैं उनके नाम के सम्मुख अंकित कमियाँ पायी गई हैं, जिनकी पूर्ति कर निदेशालय को अविलम्ब भिजवाये, ताकि कार्मिका को समय पर सेवानिवृत्ति आदेश जारी किये जा सकें:-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी व पद एवं पदस्थापन स्थान	पदस्थापन स्थान	आक्षेप
1	पुष्पा कुमारी शर्मा, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-प्रथम	कार्मिका की सेवा पुस्तिका पृ.स. 1 से 4 तक की प्रमाणित छाया प्रति भिजवायी गई जिसमें प्रथम नियुक्ति तिथि अंकित होना स्पष्ट नहीं हो रही है स्पष्ट प्रमाणित प्रति भिजवाये साथ ही प्रथम सेवा सत्यापन की प्रमाणित छाया प्रति भिजवाये ताकि कार्मिका की प्रथम नियुक्ति तिथि का सत्यापन किया जा सके।
2	अकम्मा के.के. महिला स्वास्थ्य दर्शिका	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति प्रस्ताव में कार्मिका की जन्म तिथि 01.01.1960 अंकित है जबकि सेवा पुस्तिका में 01.06.1960 अंकित है तथा विरोधाभास स्थिति से अवगत करावे।
3	सुशीला सालवी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़	कार्मिका की सेवापुस्तिका की पृष्ठ संख्या 1 से 4 तक की प्रमाणित प्रति भिजवाये तथा कार्मिका की जन्म तिथि में (कटिंग) है जबकि जन्म तिथि 09.11.1959 के स्थान पर 09.09.1959 की गई है किन्तु आदेशों के तहत जन्म तिथि संशोधित की गई, स्पष्टीकरण भिजवाये।
4	श्यामला एम.के. महिला स्वास्थ्य दर्शिका	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर	कार्मिका की सेवापुस्तिका में जन्म तिथि 15.03.60 अंकित जबकि आपके मूल पत्र में जन्म तिथि 31.03.60 अंकित है जो विरोधाभास है तथा प्रथम नियुक्ति तिथि का इन्द्राज अंकित नहीं है एवं प्रथम सेवासत्यापन पृष्ठ की प्रमाणित प्रति के साथ ही स्थिति स्पष्ट करावे।

संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

दिनांक:- 2/9/19

क्रमांक/नर्सिंग (F)/से0नि0/सी-49/आक्षेप/2019/1123

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
2. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर